

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 01/2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री सेवाराम चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी, जाति जाट, छणगों की ढाणी, कुचील, किशनगढ जिला अजमेर मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0 सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, विक्रेता एवं नोमिनी (पार्टनर-1)
- 2- श्रीमति कमलेश देवी पत्नि श्री सेवाराम चौधरी, जाति जाट, छणगों की ढाणी, कुचील, किशनगढ जिला अजमेर मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0 सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, विक्रेता फर्म मालिक (पार्टनर-2)
- 3- मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0 सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, विक्रेता फर्म
- 4- श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामकृपाल अग्रवाल, जाति वैश्य, निवासी प्लॉट नं0 206, प्रथम मंजिल, लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज0) मैसर्स सैम प्रोलाईफ न्यूट्रीशन, प्लॉट नं0 8, उद्योग विहार विस्तार, रीको एरिया के पास, हीरावाला, कानोता तहसील बस्सी, जयपुर (राज0)-303012 निर्माता फर्म मालिक
- 5- मैसर्स सैम प्रोलाईफ न्यूट्रीशन, प्लॉट नं0 8, उद्योग विहार विस्तार, रीको एरिया के पास, हीरावाला, कानोता तहसील बस्सी, जयपुर (राज0)-303012 निर्माता फर्म

.....अप्रार्थीगण


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपरिस्थित : अप्रार्थीगण स्वयं।

—: आदेश :-

दिनांक-01.02.2023

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस


न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.06.2021 को 02.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा० लि० सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर पर पहुँचे श्री सेवाराम चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) पैकड के 100-120 डिब्बे (प्रत्येक 500-500 ग्राम) रखकर विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु 500-500 ग्राम न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) के 4 डिब्बे वास्ते नमूना जाँच हेतु 3600/- रुपये श्री सेवाराम चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री प्रकाश सोनी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 500-500 ग्राम न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) के 4 डिब्बों को चार नमूना भाग तैयार कर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-2712 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2021/7050 दिनांक 30.07.2021 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस 232/एक्ट/2021/149 दिनांक 08.07.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 22.04.2022 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 22.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 01.02.2023 को अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 श्री सेवाराम चौधरी स्वयं व वास्ते मैसर्स सैम प्रोलाईफ न्यूट्रीशन, जयपुर उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि उपरोक्त त्रुटि निर्धारित नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश हुई है। अब भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को झोंप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थी श्री सेवाराम चौधरी ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सेवाराम चौधरी व अन्य द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे न्यूट्रीशन मील (परम स्ट्रॉंग) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड पाया गया जो आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री सेवाराम चौधरी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्चर्य किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री सेवाराम चौधरी व अन्य को रु 21000/- (अक्षरे इक्कीस हजार रुपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 01.02.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Qm: 01/02/23
(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक सरिस्ता/अपर/2023/655-72

दिनांक : 7-2-2023

तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अजमेर
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

श्री सेवाराम चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी, जाति जाट, छणगों की ढाणी,
कुचील, किशनगढ जिला अजमेर मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0
सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर,
विक्रेता एवं नोमिनी (पार्टनर-1)

श्रीमति कमलेश देवी पत्नि श्री सेवाराम चौधरी, जाति जाट, छणगों की ढाणी,
कुचील, किशनगढ जिला अजमेर मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0
सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर,
विक्रेता फर्म मालिक (पार्टनर-2)

मैसर्स परम स्ट्रॉंग लाईफ केयर प्रा0 लि0 सुमेर सिटी कॉम्प्लेक्स, अराई
चौराहा, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, विक्रेता फर्म

श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामकृपाल अग्रवाल, जाति वैश्य, निवासी
प्लॉट नं0 206, प्रथम मंजिल, लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज0) मैसर्स
सैम प्रोलाईफ न्यूट्रीशन, प्लॉट नं0 8, उद्योग विहार विस्तार, रीको एरिया के
पास, हीरावाला, कानोता तहसील बस्ती, जयपुर (राज0)-303012 निर्माता फर्म
मालिक

मैसर्स सैम प्रोलाईफ न्यूट्रीशन, प्लॉट नं0 8, उद्योग विहार विस्तार, रीको
एरिया के पास, हीरावाला, कानोता तहसील बस्ती, जयपुर (राज0)-303012
निर्माता फर्म

न्याय निरीयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी (प्रशासन) अजमेर